

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/3777/

जबलपुर, दिनांक 23/08/2018

श्रीमती प्रियंका दीपक तिवारी, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 29.12.17 से 01.01.18 तक 4 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 02.01.18 से 30.06.18 तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही/-
(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/3778/

जबलपुर, दिनांक 23/08/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. सहायक अवकाश/वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती प्रियंका दीपक तिवारी, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रप्रेषित।


(दीपेश तिवारी)
रजिस्ट्रार (न्या.-दो)